केन्द्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए जागरूकता सृजन एवं प्रचार और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश

दिनांक 27 सितम्बर, 2024 से लागू

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड

नई दिल्ली- 110003

केन्द्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए जागरूकता सृजन एवं प्रचार और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश

इस योजना के दो घटक हैं:

I. **जागरूकता सृजन और प्रचार**
II. **केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।**

I. जागरूकता सृजन और प्रचार

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों में विश्वास निर्माण करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए समान अवसर, निष्पक्षता (ईक्विटी) और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सूचना का प्रसार-प्रचार और सभी स्टेकहोल्डरों को सुग्राही बनाने के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सक्षम वातावरण का सृजन करना है ताकि वे सार्थक योगदान दे सके और देश के विकास में समान रूप से भागीदार बन सकें। तदनुसार, इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

क. संविधान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और नियमों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और अधीनस्थ विधानों में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार, दिव्यांगजनों और सिविल समुदाय सहित सभी स्टेकहोल्डरों में दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों के बारे में व्यापक प्रचार करना ।

ख. समान अवसर, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना और दिव्यांगजनों में विश्वास निर्माण सुनिश्चित करना ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें।

ग. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अन्य मंत्रालयों एवं विभागों सहित विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना।

घ. विभिन्न प्रकारों की दिव्यांगताओं के होने के कारणों और प्रारंभिक पहचान आदि के माध्यम से, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उनकी रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाना और समाज को संवेदनशील बनाना तथा ऐसी दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सामग्री का विकास करना, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना आदि।

ङ. दिव्यांगजनों के प्रयोग के लिए विकसित विभिन्न सहायक उपकरणों का व्यापक प्रचार करना।

च. विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की विशेष जरूरतों पर नियोक्ताओं और अन्य समान समूहों को संवेदनशील बनाना।

छ. दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जॉब फेयर्स, मेलों/प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना ताकि दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन और उनकी बिक्री की जा सके, कौशल विकास और रोजगार सृजन आदि के बारे में अभियान चलाया जा सके, जागरूक किया जा सके।

ज. कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में अपनी आंतरिक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना।

झ. दिव्यांगता से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ञ. विभिन्न दिव्यांगताओं आदि से संबंधित विशेष कार्यक्रमों और विशेष दिनों का आयोजन करना और दिव्यांगता के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने से संबंधित प्रासंगिक गतिविधियों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

ट. विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के पुनर्वास के लिए सामग्री (प्रिंट/डिजिटल दोनों) विकसित करना।

ठ. हेल्पलाइनों/हेल्प डेस्कों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ड. प्रभावी शिकायत निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ढ. सोशल मीडिया, यू-ट्यूब सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग, फिल्मों, रेडियो जिंगल के जरिए तथा पोस्टरों/बैनरों/सेल्फी-प्वाइंट्स आदि आउटडोर अभियान के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार करना।

ण. विभाग के अधीन कार्यरत संगठनों के साथ-साथ विभाग द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण आयोजनों/कार्यक्रमों का दौरा करने के लिए प्रेस/मीडिया टूर ।

त. दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा या एडवोकेसी समूहों, दिव्यांग प्रभावकों आदि द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों/टेलीविजन कार्यक्रमों/समाचार चैनलों/यूट्यूब चैनलों में कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

थ. सुगम्यता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाओं/सेमिनारों/आयोजनों/आउटडोर अभियानों के माध्यम से सहायता करना।

द. निजी संगठनों/स्टार्ट-अप द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में की गई विभिन्न नई पहलों/तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना जिससे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित किया जा सके।

ध. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और उसके तहत कार्यरत संगठनों/संस्थानों द्वारा ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति करना।

न. विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिव्यांगता के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने से संबंधित किसी अन्य प्रासंगिक गतिविधियों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

2 इस योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य गतिविधियां

इस योजना के उद्देश्य के तहत उल्लिखित सभी गतिविधियां इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। यह विभाग इन गतिविधियों का संचालन या तो स्वयं या इसके साथ सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से या इसके अधीन काम करने वाले संगठनों के माध्यम से कर सकता है या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 'लोगो' (प्रतीक चिन्ह) के तहत ऐसी गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न सरकारी/निजी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से आवेदन आमंत्रित कर सकता है या उनके द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर सकता है। कुछ प्रमुख गतिविधियां का विवरण इस प्रकार है : -

I. हेल्पलाइन/हेल्प डेस्क

दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा उनके लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में एक हेल्पलाइन स्थापित की जानी है। ये हेल्पलाइन दिव्यांगजनों को शिकायतें दर्ज करने और/या अपनी शिकायत पंजीकृत करने के जरिए शिकायतों के निवारण में भी सहायता करेगी। इस हेल्पलाइन का रखरखाव और संचालन या तो स्वयं विभाग द्वारा या उसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संगठनों के माध्यम से या इस क्षेत्र में काम करने वाली निजी एजेंसियों/संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। चूंकि हेल्पलाइन चलाने के लिए आवर्ती लागत की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इस योजना के तहत निधि जारी करने के लिए गैर-आवर्ती और आवर्ती लागत दोनों स्वीकार्य होंगी। यदि आवश्यक हो, तो सूचना के प्रसार, शिकायत करने की सुविधा, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुविधा आदि के लिए दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु इसी तर्ज पर हेल्प डेस्क केंद्र भी स्थापित किए जाए।

II. सामग्री का विकास, प्रकाशन और नया मीडिया

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों, सिविल सोसाइटी और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रासंगिक समझे गए प्रकाशन, पैम्पलेट, हैंड आउट, बैनर, होर्डिंग आदि तैयार करेगा। मुद्रित सामग्री में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए इस विभाग और अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न पहलों और योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े/सूचना; कारणों, रोकथाम, निदान पर सामग्री; उपचार और पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता; लागत प्रभावी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और टिकाऊ सहायक उपकरण आदि विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता, अनुकूली अनुसंधान पर सामग्री, आदि शामिल हो सकती है। सामग्री के विकास में दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वीडियो फिल्में, रेडियो जिंगल, सफलता की कहानियां आदि की तैयारी और प्रसारण जैसी डिजिटल सामग्री भी शामिल होंगी।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल, ऑडियो / वीडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि प्रारूपों सहित प्रचार के लिए सभी उपलब्ध मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाएगा।

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता पर निम्नलिखित के लिए भी विचार किया जाएगा: -

क. दिव्यांगता पर प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ सामग्री / पुस्तक के लिए वार्षिक पुरस्कार।

ख. विभाग द्वारा स्वयं या अन्य सरकारी/निजी संगठनों के सहयोग से प्रकाशित की जाने वाली एक आवधिक पत्रिका जैसे द्विमासिक (दो महीने में एक बार)/ द्विवार्षिक/वार्षिक आवधिक पत्रिका जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के योगदान, संगठनों द्वारा उनकी सफलता की कहानियां, साहित्यिक सामग्री, दिव्यांगजनों से संबंधित वर्तमान गतिविधियां आदि प्रकाशित की जा सकती हैं।

ग. दिव्यांगता से जुड़ी प्राधान्य स्वास्थ्य स्थितियों, दिव्यांगजनों के लाभार्थ विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों तक पहुंच, पुनर्वास सेवाओं आदि जैसी दिव्यांगता संबंधी विशेषताओं के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए विशिष्ट दिव्यांगता सर्वेक्षण आयोजित करना।

घ. दिव्यांगता के संबंध में उपयोगी सूचना या दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का एक सार/संक्षिप्त संग्रह संकलित करने के लिए अध्ययन समूह का गठन करना।

ङ. विभिन्न शहरों के भवनों, सड़क परिवहनों आदि की पहुंच की जांच करने के लिए दिव्यांगजन और वास्तुकार दलों का दौरा/विजिट।

III. आयोजन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वयं या इसके अधीन कार्यरत संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भाग ले सकता है या गैर-सरकारी संगठनों, निजी संगठनों / या दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों / सिविल सोसायटी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन कर सकता है या ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन कर सकता है जो उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा सकते हैं।

क. राष्ट्रीय स्तर पर विभाग द्वारा स्वयं के माध्यम से या विभाग के अधीन कार्यरत संगठनों के माध्यम से और अन्य केंद्र/राज्य सरकारी/ सरकारी संगठनों/संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रम :

राष्ट्रीय / राज्य/ क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए कॉन्फ्रेंस/ सेमिनार/ कार्यशालाएं आयोजित करना। विभिन्न दिव्यांगताओं आदि से संबंधित विशेष कार्यक्रमों और विशेष दिनों के उत्सव का आयोजन करना और दिव्यांगता के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने से संबंधित प्रासंगिक गतिविधियों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। इन कार्यक्रमों में प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और पुरस्कार देना; जनता के देखने के लिए मंच पर प्रदर्शन; दिव्यांगजनों द्वारा बनाए चित्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन करना और दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करना। दिव्यांगता से संबंधित प्रेरणादायक प्रख्यात दिव्यांग हस्तियों/सफलता प्राप्तकर्ताओं पर बनी फिल्मों का प्रदर्शन, फिल्म समारोह आदि आयोजित करना शामिल हो सकता है। कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में अपनी आंतरिक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना। केंद्र/राज्य सरकार दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जॉब फेयर्स, कौशल अभिविन्यास, रोजगार के लिए परामर्श आदि जैसे कौशल विकास और रोजगार सृजन हेतु जागरूकता सृजन और अभियान के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों के हित में सुगम्यता या कोई अन्य आयोजन या अभियान हेतु कदम उठा सकते हैं। दिव्यांगजनों के माता-पिता, देखभाल करने वालों, दिव्यांगजनों, पुनर्वास पेशेवरों, अन्य स्टेकहोल्डरों और पूरे समाज आदि को संवेदनशील बनाने के लिए इस विभाग के तहत आने वाले संगठन द्वारा विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

दिव्यांग छात्रों की जरूरतों के बारे में शिक्षकों और छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के साथ सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करना। दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के प्रति राज्य सरकार के कार्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए राज्य लोक प्रशासन संस्थानों के सहयोग, स्थानीय स्तर पर विशिष्ट दिव्यांगताओं के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना जिसमें बीडीओ और सरपंचों जैसे सम्मानित और विश्वसनीय के पदधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय मेडिकल प्रैक्टिशनरों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे लोग विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में शिक्षित होंगे और दिव्यांगों की प्रारंभिक पहचान में मदद मिलेगी । ऐसे कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों और भारतीय पुनर्वास परिषद से विभिन्न दिव्यांगताओं पर मुद्रित सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है।

ख. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम:

सीआरपीडी की प्रस्तावना में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दिव्यांगता एक उभरती हुई अवधारणा है परंतु इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दिव्यांगता बाधित व्यक्तियों तथा व्यवहार संबंधी और पर्यावरणीय बाधाओं के बीच, परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप, समाज में दूसरों के साथ समान आधार पर दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है। दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों का नकारात्मक व्यवहार हो सकता है; दिव्यांग बच्चों और वयस्कों पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कम आत्मसम्मान और कम सहभागिता जैसे नकारात्मक परिणाम होते हैं। वे लोग जो अपनी दिव्यांगता के कारण परेशानी महसूस करते हैं, वे कभी-कभी दूसरे स्थानों पर जाने, अपनी दिनचर्या बदलने, या यहां तक कि अपने घरों से बाहर जाने से बचते हैं।

इस कलंक का विरोध करने के लिए कार्यनीतियां बनाने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, महोत्सवों, प्रदर्शनियों, अन्य गतिविधियों के आयोजन बहुत सफल हो सकते हैं और इस योजना के तहत ऐसी गतिविधियों को समर्थन दिया जाएगा।

ग. गैर-सरकारी संगठनों/निजी संगठनों/संघों/फेडरेशनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम:

इस योजना के तहत दिव्यांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए माता-पिता और समुदाय की भागीदारी के लिए स्वयं सहायता और एडवोकेसी समूहों के लिए पारस्परिक संचार, नुक्कड़ नाटकों, रोड शो आदि द्वारा जागरूकता सृजन करने के लिए उन्हें अनुदान प्रदान पर विचार किया जा सकता है। दिव्यांग समुदाय और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाकर गैर-सरकारी संगठनों/निजी संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत तथा देश में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों/फेडरेशनों/सोसायटीज़ द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस/सेमिनार/कार्यशालाओं के लिए तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से दिव्यांगता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण दिवसों पर सहायक कार्यक्रमों का आयोजन के लिए वित्तीय सहायता पर भी विचार किया जा सकता है। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जॉब फेयर्स, सीएसआर वित्तपोषण, नौकरी के लिए परामर्श आदि जैसे कार्यकलापों में शामिल संगठनों को जागरूकता सृजन के लिए निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

गैर-सरकारी संगठनों को इसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक (प्रत्येक दूसरे) वर्षों में अनुदान जारी किया जाएगा। गैर-सरकारी संगठनों को यह 'अंडरटेंकिग' देकर सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम में प्रतिभागियों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

IV. वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को सुग्राही बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा/प्रसार-प्रचार (आउटरीच) कार्यक्रम।

अब तक, दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर केंद्र ध्यान केंद्रित रहा है। निजी क्षेत्र, विशेष रूप से दुकानों और छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ऐसे व्यक्तियों को कर्मचारियों के रूप में रखने का व्यापक सामर्थ्य है। स्वयंसेवकों या नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान कर छोटे प्रतिष्ठानों को जागरूक करके 'प्रत्येक एक को ले' के विचार को लागू किया जा सकता है। स्वयंसेवकों के माध्यम से क्षेत्रवार/मार्केटवार प्रचार अभियान शुरू किया जा सकता है। सरकारी और निजी संगठनों द्वारा ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए इस योजना के तहत सहायता-अनुदान हेतु विचार किया जा सकता है।

V. सामुदायिक रेडियो/टीवी चैनलों में भागीदारी:

निजी संगठन, एडवोकेसी समूह, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, टीवी चैनलों, समाचार चैनलों, यूट्यूब चैनलों के मालिक (यूट्यूबर) और/या संचालित करने वाले ऐसे दिव्यांग प्रभावकों (इनफ्लुंएसर), जिनकी दिव्यांग समुदाय के बीच पर्याप्त पहुंच है और जो दिव्यांगता से संबंधित सफलता की कहानियों, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रसारण/दूरदर्शन पर दर्शाने सहित सुगम्य सामग्री तैयार करने का कार्य कर रहें हैं और जिससे दिव्यांगजनों का सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण हो रहा है तथा उनके बीच जागरूकता पैदा कर रहें हैं, ये सभी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। विशेष रूप से दिव्यांगजन द्वारा तैयार किए गए और उनकी प्रतिभा को दर्शाने वाले कार्यक्रमों को टी.वी. पर दर्शाने वाली गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रतिभा दर्शाने वालों के मानदेय, उनके रहने, भोजन तथा परिवहन हेतु तथा टी.वी. पर दिखाने और प्रसारण के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया को देय भुगतान को लागत वहन करना ।

VI. प्रेस/मीडिया टूर और अन्य मीडिया विशिष्ट गतिविधियां

मीडिया कर्मियों/पत्रकारों द्वारा विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों, विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसी का दौरा करने से मीडिया को दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के क्षेत्र में इन संगठनों द्वारा देश भर में की जा रही गतिविधियों/पहलों/अनुसंधानों आदि के बारे में अत्यधिक जानकारी मिलेगी। उक्त कार्यक्रमों/आयोजनों के परिणामों को उजागर करने और जनता, विशेष रूप से दिव्यांगजनों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभाग द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए मीडिया टूर भी आयोजित किए जा सकते हैं। इससे मीडिया को और अधिक समग्र तरीके से दिव्यांगजनों के हितों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकेगा। यह घटक मीडिया कार्यशाला और अन्य विशिष्ट मीडिया गतिविधियों को भी कवर करेगा।

VII. ब्रांड एंबेसडर

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और उसके तहत कार्यरत संगठन/संस्थान विभिन्न योजनाओं के तहत गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करेंगे। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय निहितार्थों को एजीपी योजना के तहत पूरा किया जाएगा।

3 (1) अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत आने वाले संस्थान और संगठन तथा केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले संगठन, विश्वविद्यालय, संस्थान, कॉलेज, स्कूल आदि ;

(ii) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन जैसे गैर-सरकारी संगठन, निजी संगठन, एडवोकेसी और सेल्फ-एडवोकेसी संगठन,सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कम्पनी-जो कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन आती हैं, संघ/फेडरेशन, स्वतः सहायता समूह, संगठन जो मानसिक और भावनात्मक सहायता संबंधी सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन जिसमें दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायता सेवा देने, तनाव प्रबंधन और सामाजिक अलगाव के उन्मूलन का कार्य करने वाले संगठन शामिल हैं, समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन और अन्य स्वैच्छिक संगठन आदि के लिए इस योजना के तहत सहायता-अनुदान जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

3(2) सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के लिए पात्रता मानदंड

i. इस योजना के तहत पैरा-3(1)(i) के अधीन आने वाले सभी संगठन सहायता-अनुदान के लिए पात्र होंगे।

ii. 3(1)(ii) के तहत शामिल संगठन के संबंध में न्यूनतम 3 वर्ष से अस्तित्व वाले पंजीकृत संगठन जिसमें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत संगठन या भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 या चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, 1920 के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत या केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनियम के अधीन पंजीकृत संगठन/कंपनी, आदि शामिल हैं। संगठन को गैर-लाभकारी (नॉन-प्रोफिट) तथा 'लाभ के लिए नहीं' संगठन होना चाहिए या वह अपने लाभों का, यदि कोई हो तो, या अन्य आय का उपयोग परोपकारी (चैरिटेबल) उद्देश्यों को बढ़ावा देने में करता हो।

iii. दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य करने हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों को नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 या दिव्यांजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

iv. पिछले तीन वर्षों की विधिवत लेखा परीक्षित एवं समुचित रूप से अनुरक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट।

v. ऐसे संगठनों पर ही अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है, जिसका संबंधित क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो।

vi. संगठन को अपने प्रस्ताव नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए:

क. निर्धारित आवेदन प्रपत्र (अनुबंध-I)
ख. दूसरी/तीसरी किस्त का प्रपत्र (अनुबंध-II)
ग. उचित रूप से भरी गई प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक प्रपत्र (अनुबंध-III)

3.2 एनजीओ/निजी संगठनों द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु नियम और शर्तें :

i. गैर सरकारी संगठनों के मामले में, संगठनों को नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत कराना है और प्रस्ताव के साथ अपना विशिष्ट आईडी नंबर प्रस्तुत करना है।

ii. एक प्रमाणपत्र यह दर्शाते हुए कि यह संगठन इसी घटक के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करेगा।

iii. आयोजन (ईवेंट) से प्राप्त आय, यदि कोई हो, तो संगठन के लेखा परीक्षित लेखों में दर्शाई जाएगी।

iv. संगठन द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा।

v. संगठन द्वारा सभी लेन-देन इलैक्ट्रानिक मोड के माध्यम से किया जाएगा, उदाहरण के लिए यूपीआई, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, अकाउंट पेई चेक और संगठन के बैंक खाते की विवरणी में इसे दर्शाया जाना है। किसी भी बिल के प्रति सभी भुगतान तभी किए जाएंगे जब उस बिल में जीएसटी घटक होगा (अर्थात् केवल पक्के बिल पर) ।

vi. गैर सरकारी संगठनों की ऐसे किसी भी कार्यक्रम/आयोजन में स्थानीय मनोनित लोक प्रतिनिधियों (माननीय सांसद, विधायक आदि) और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए और विभाग को अपने कार्यक्रमों / आयोजनों के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ भेजनी चाहिए।

vii. इस योजना के तहत, गैर-सरकारी संगठनों को उसी कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक वर्ष में सहायता अनुदान जारी किया जाएगा।

viii. किसी भी संगठन के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब उसमें प्रस्तावित गतिविधियों, तिथियों, स्थान, संभावित प्रतिभागियों की संख्या, बजट के मद-वार घटक और इन कार्यक्रमों का परिणाम संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराया गया हो ।

ix. पात्र बनने के लिए, गैर सरकारी संगठनों को एक वेबसाइट बनाए रखना चाहिए और उसमें प्रधान रूप से प्राप्त सहायता अनुदान, उसके उद्देश्य, आयोजित कार्यक्रमों तथा फोटोग्राफ और वीडियो के साथ प्रतिभागियों की सूची को दर्शाना होगा । एनजीओ को प्रत्येक प्रस्ताव के साथ एक स्व-घोषणा पत्र भी भेजना/प्रस्तुत करना होगा कि संगठन को किसी भी सक्षम एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

x. यह संगठन विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी/तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा निरीक्षण हेतु खुला होगा।

xi. सहायता अनुदान और बजट अनुमान के बीच के अंतर का वहन संगठन द्वारा किया जाएगा और संगठन को इस संबंध में एक लिखित पुष्टिकरण उपलब्ध कराना है । तथापि, यदि संगठन विभाग की जीआईए समिति द्वारा सिफारिश की गई प्रस्ताव हेतु बजट अनुमान और जीआईए के बीच के अंतर का वहन नहीं कर पाता है तो संगठन द्वारा जीआईए समिति की सिफारिश के आधार पर एक संशोधित प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

xii. गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थानों को एक फीडबैक प्रपत्र (अनुबंध III के अनुसार) भी उपलब्ध कराना होगा ।

xiii. यदि यह पाया जाता है कि संगठन ने कोई गलत सूचना/दस्तावेज़ भेजी है अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सरकारी अनुदान का दुरुपयोग किया है/काफ़ी समय तक अनुदान को रोक रखा है, तो विभाग/मंत्रालय को इस संगठन को ब्लौकलिस्ट करने और जारी की गई अनुदान को 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि (काम्पाउण्ड) ब्याज के साथ वसूली करने का अधिकार है।

xiv. इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न मामलों पर कोई भी मुकदमा एनसीटी, दिल्ली के न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

xv. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के विवेक पर इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों की किसी भी समय समीक्षा की जा सकती है और इन्हें बदला जा सकता है।

xvi. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने विवेक से, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

4. निधियों की स्वीकृति और जारी करना

योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए संगठनों द्वारा आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुबंध- I और II जैसा भी मामला हो) में प्रस्तुत किया जाएगा।

सभी संस्वीकृति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी किए जाएंगे और सभी संवितरण आईएफडी की सहमति से किए जाएंगे।

(क) अल्पकालिक परियोजनाएं (एक बार के आयोजन या परियोजनाएं जो 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं है):

संवितरण निम्नानुसार दो किस्तों में किया जाएगा:

प्रथम किस्त : 75% - अनुमोदन, स्वीकृति, आवश्यक बांड निष्पादित करने आदि पर, जहां भी आवश्यक हो।

द्वितीय किस्त : 25% - अंतिम रिपोर्ट और पहली किस्त के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, मदवार व्यय सहित लेखा परीक्षित लेखा विवरण।

(ख) दीर्घकालिक परियोजनाएं (6 महीने और अधिक अवधि की परियोजनाएं)

संवितरण तीन किस्तों में निम्नानुसार किया जा सकता है:

40% - अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने/बांड के निष्पादन आदि पर, यदि लागू हो।

40% - प्रगति समीक्षा, पहली किस्त के उपयोग संबंधी उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद।

20% - अंतिम रिपोर्ट, पूरी राशि के लिए यूसी और मदवार व्यय के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्राप्त होने पर।

(ग) हेल्पलाइन नंबर की स्थापना जैसी दीर्घकालिक परियोजनाएं

विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्धारित संविदा/करार की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार निधियां जारी की जाएंगी।

5. विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए लागत सीमा/लागत मानदंड *

क्र.स.	**घटक**	**लागत सीमा**
(i)	हेल्पलाइन	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें।
(ii)	सामग्री विकास, प्रकाशन और न्यू मीडिया	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें या डीएवीपी दरों के अनुसार (यदि उपलब्ध हो), जो भी कम हो।
(iii)	आयोजनों	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें या स्क्रीनिंग समिति द्वारा तय किए गए अनुसार।
(iv)	संवेदनशील बनाने हेतु स्वयंसेवी सेवा/आउट-रीच कार्यक्रम, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं के लिए	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें या स्क्रीनिंग समिति द्वारा तय किए गए अनुसार।
(v)	प्रेस/मीडिया टूर और अन्य मीडिया विशिष्ट गतिविधियां	इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा या ट्रेन-एसी-2 टियर द्वारा आने-जाने का खर्च, बोर्डिंग और लॉजिंग खर्च, मीडिया किट आदि वास्तविक के अनुसार।
(vi)	सामुदायिक रेडियो/टीवी चैनल/यूट्यूब चैनल में भागीदारी	वास्तविक या प्रचलित बाजार दरें या डीएवीपी दरों के अनुसार (यदि उपलब्ध हो) या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो भी लागू हो।

वास्तविक या प्रचलित बाजार दर के मामले में, संगठन को पूर्ण प्रामाणिकता के साथ प्रस्ताव भेजना है।

जब योजना के तहत कोई गतिविधि सीधे केंद्र/राज्य सरकार के तहत संस्थानों द्वारा की जाती है, जिसमें विभाग के अधीन वाले संगठन शामिल हैं, तब वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार निधि स्वीकृत और जारी की जाएगी।

एजीपी योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा और प्रतिभागियों से फीडबैक अनुबंध I, II, III, में दिया गया है।

5. प्रमुख पदाधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना।

5.1 पृष्ठभूमि: 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17 तक) के लिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सुपुर्द प्रक्रिया और तंत्र पर कार्य कर रही समूह ने यह पता लगाया कि विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच अपर्याप्त जागरूकता और संवेदनशील एक प्रमुख चुनौती है। इस रिर्पोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, की गई पहलों में से एक था दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य तथा विशेष रूप से उपरोक्त योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में प्रमुख पदाधिकारियों और अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण और संवेदनशील बनाना था। यह अवलोकन इस प्रकार है :

''राज्य/जिला/खंड स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर नियमित आधार पर "पीएचसी/सीएचसी और जिला सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों पुनर्वास पेशेवरों तथा केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और सुग्राही बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

5.1 (क) दिव्यांगजनों के अधिकारों और हकदारियों, विभिन्न योजनाओं में प्रावधान, विकासात्मक कार्यक्रमों, उनके विशिष्ट अधिकारों तक पहुंचने के तरीकों और साधनों के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके वे समान नागरिक के रूप में हकदार हैं। सरकारों की योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख पदाधिकारियों के लिए जागरूकता आवश्यक है। इन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य प्रमुख सरकारी पदाधिकारियों के सुग्राही और जागरूकता के स्तर और क्षमता निर्माण को बढ़ाना है, विशेष रूप से उनके लिए जो योजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और सेवाओं के वितरण में शामिल हैं। इसे नियमित आधार पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

5.1 (ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 47(1) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख पदाधिकारियों के लिए दिव्यांगता संबंधी अधिकारों पर प्रशिक्षण, सभी स्तरों पर शिक्षा पाठ्यक्रमों में दिव्यांगता को एक घटक के रूप में शामिल करने, क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने, खेल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने आदि का अधिदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 4, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, भी हस्ताक्षरकर्ता देशों को सभी दिव्यांगजनों के लिए भेदभाव के बिना और मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए राज्यों को दिव्यांगजनों के साथ कार्य करने वाले पेशेवरों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन अधिकारों के साथ गारंटीकृत बेहतर सहायता और सेवाएं प्रदान की जा सकें।

5.2 उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना है। इससे कार्य स्थल पर एक समावेशी वातावरण बनाने और समान अवसर, समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और दिव्यांगजनों में विश्वास बहाली सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी । तदनुसार, इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त, कुशल और प्रतिबद्ध प्रमुख पदाधिकारियों को सुनिश्चित करना।

ख. दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता संबंधी कानून, विकास कार्यक्रमों, योजनाओं और कार्यक्रमों; विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच पुनर्वास और रेफरल सेवाओं के बारे में जागरूकता सृजन करना;

ग. दिव्यांगजनों की रोकथाम, शीघ्र पहचान, उपचार, पुनर्वास और मुख्यधारा में लाने के प्रति जागरूकता पैदा करना और संवेदनशील बनाना।

5.3 योजना का दायरा

i. इस योजना में दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े कतिपय केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों (एक वर्ष के लिए लगभग 5000-6000) को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

ii. आधे दिन, एक या दो दिन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। लंबी अवधि पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

iii. प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक संस्थानों/ डीईपीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय संस्थानों / आरसीआई के अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों / विश्वविद्यालय के विभागों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

iv. विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के परामर्श से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विस्तृत पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल/पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

v. प्रशिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण के उद्देश्य से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा स्वीकार्य गतिविधियों के लिए सामान्य दिशानिर्देश और व्यय के मानदंड तैयार किए जाएंगे।

vi. प्रशिक्षण कार्यक्रम भौतिक या वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है, जो भी उस समय वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार लागू हो। हालांकि, वर्चुअल प्रशिक्षण के लिए प्रति सत्र लागत मानदेय दर की सीमा (यूजीसी) होगी। सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदेय दर से अधिक लागत स्वीकार्य नहीं होगी।

5.4 नोडल एजेंसी

भारतीय पुनर्वास परिषद, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसी/आरसी के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होगी। जबकि आरसीआई योजना के तहत निर्धारित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करेगा, राष्ट्रीय संस्थान / सीआरसी / आरसी सीधे स्वयं प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल, पाठ्यक्रम के अनुसार दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नोडल एजेंसियों को निधियां जारी की जाएंगी। समूहों में सूचीबद्ध प्रमुख पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:

लक्ष्य समूह -I के वरिष्ठ पदाधिकारी

सांसद/विधायक/न्यायपालिका/प्रशासनिक सेवा के अधिकारी /
संबद्ध सेवा अधिकारी/कुलपति/राजस्व विभाग - केंद्र और राज्य सरकारें/
पुलिस अधिकारी

लक्ष्य समूह - II पदाधिकारी - शिक्षा

सरकारी कॉलेजों और स्कूलों के प्रिंसिपल / उप प्राचार्य,
उच्च शिक्षा संकाय, शिक्षा अधिकारी, डीआईईटी प्रिंसिपल /संकाय

लक्ष्य समूह - III पदाधिकारी – स्वास्थ्य और संबद्ध स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर, प्रशासक (सीएमओ, उप सीएमओ, एमओ)

लक्ष्य समूह - IV पदाधिकारी – मध्य स्तर के प्रशासक

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी,

खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी,

नगर योजनाकार और रोजगार अधिकारी

लक्ष्य समूह - V पदाधिकारी – स्कूल शिक्षा

शिक्षक, हेड मास्टर, (प्राथमिक और माध्यमिक स्तर), एसएमसी

लक्ष्य समूह - VI पदाधिकारी- जमीनी स्तर के कार्यकर्ता

एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सीबीआर कार्यकर्ता,

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

लक्ष्य समूह - VII - इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कोडर आदि।

5.5 प्रशिक्षण संस्थान/कार्यान्वयन एजेंसी

क. केंद्र और राज्य सरकार के स्टाफ प्रशासनिक कॉलेज/ प्रशिक्षण संस्थान
ख. भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थान।
ग. आरसीआई अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग ।
घ. प्रशिक्षण विभाग/समूह क और ख अधिकारी प्रशिक्षण अकादमियां।

5.6 प्रशिक्षण कार्यक्रम

ब्लॉक/जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कार्यशालाओं (एक से दो दिन की अवधि)।

5.7 प्रशिक्षण मॉड्यूल

विशेषज्ञ समूहों की मदद से आरसीआई द्वारा विकसित शिक्षार्थियों की आवश्यकता के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण सामग्री www.rehabcouncil.nic.in आरसीआई की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आरसीआई द्वारा विकसित विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल विभाग (www.disabilityaffairs.gov.in) और आरसीआई (www.rehabcouncil.nic.in) की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

सामग्री को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा डाउनलोड किया जाना है और कार्यक्रम की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार प्रतिभागियों को प्रतियां वितरित की जानी हैं।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है:

i. प्रत्येक विषय पर जागरूकता और संवेदीकरण पर विस्तृत सामग्री और पोस्टर
ii. दिव्यांगताओं की रोकथाम, उसकी शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप, दिव्यांगजनों के पुनर्वास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के संबंध में दिव्यांगता-वार सहायता (हैंडआउट)
iii. ऑडियो-विज़ुअल सामग्री और संबंधित सामग्री के लिंक यू-ट्यूब आदि पर उपलब्ध हैं।
iv. क्षमता निर्माण के लिए सामग्री।

उपर्युक्त सामग्री निर्देशात्मक हैं जिन्हें स्थानीय संसाधन सामग्री से समृद्ध किया जा सकता है, और लक्ष्य समूह की आवश्यकता के अनुसार इन्हें पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना है। जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री भी तैयार की जाए और वितरित की जाए।

5.8 संसाधन व्यक्ति

i. दिव्यांगता क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति और विशेषज्ञ एवं रोल-मॉडल
ii. मेडिकल/पैरा-मेडिकल प्रोफेशनल
iii. चिकित्सा पेशावर
iv. दिव्यांगजन सशक्तिकरण के राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक/अन्य विशेषज्ञ
v. आरसीआई के साथ पंजीकृत वरिष्ठ पुनर्वास पेशेवर
vi. दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों से संबंधित कार्य करने वाले सरकारी विभागों के अधिकारी।
vii. विधि पेशेवर

5.9 सहायता का पैटर्न और प्रमात्रा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि।

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के प्रावधान के अनुसार, आधे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद, जो इस योजना के लिए एक नोडल एजेंसी है, के माध्यम से वहन की जाएगी। इस योजना में यथा परिकल्पित विभिन्न लक्षित समूहों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम के लिए अलग-अलग बजट मद और व्यय की ऊपरी सीमा इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आबंटित (4,800/- रुपये) की प्रति इकाई लागत के आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, आरसीआई द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण कराए जाने की स्थिति में प्रशासनिक लागत को वहन करने के लिए आरसीआई हेतु प्रति इकाई लागत का 5% शामिल किया गया है।

5.10 अनुदान प्राप्त करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना के तहत निबंधन और शर्तें:

i. प्रतिभागियों की न्यूनतम आवश्यक संख्या (30 से 40)। (30) से कम प्रतिभागियों के लिए कोई व्यय प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, जैसा कि कार्यक्रम शुरू करने के लिए लक्षित समूह की संबंधित श्रेणियों में अनिवार्य दर्शाया गया है।

ii. बजट को निर्धारित किए गए अनुसार शीर्षों के अंतर्गत व्यय किया जाना । प्रतिपूर्ति के लिए बजट से अधिक व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी परिस्थिति में, परिषद की पूर्व अनुमति के बिना बजट के भीतर या उससे अधिक पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं है।

6. **सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधियां** :

पहली किस्त में, प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुमोदित बजट का 80% नोडल एजेंसियों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाएगा और शेष 20% बजट जीएफआर के प्रावधान और कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित उपयोग प्रमाण पत्र, आय व्यय विवरण प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।

7. अनुमोदन तंत्र (दोनों घटकों के लिए सामान्य):

जागरूकता पैदा करने और प्रचार के लिए या डिवीजन स्तर पर जांच के बाद इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता के लिए सभी प्रस्तावों को उपरोक्त व्यापक मापदंडों के भीतर दी जाने वाली विषय-वस्तु और वित्तीय सहायता की मात्रा के अनुमोदन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। समिति का गठन इस प्रकार होगा :-

स्क्रीनिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार होगा।

क्र.सं.	अधिकारी	भूमिका
(i)	संयुक्त सचिव (जागरूकता सृजन और प्रचार)	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली	सदस्य
(iii)	सदस्य सचिव, आरसीआई	सदस्य
(iv)	डीएवीपी के प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले दिव्यांगजनों/प्रतिनिधि समूहों/संगठनों में से एक विशेष आमंत्रित व्यक्ति	सदस्य
(vi)	निदेशक/उप सचिव (जागरूकता विकास एवं प्रचार)	सदस्य-सचिव

समिति आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के बीच निधियों के पुनर्समायोजन/आदान-प्रदान की सिफारिश भी कर सकती है। विभिन्न घटकों के अंतर्गत निधियों के उपयोग में अंतर-परिवर्तन स्वीकार्य होगा ताकि किसी विशेष घटक के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और/अथवा विभिन्न गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा सके । किसी प्रस्ताव की वैधता समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन की तारीख से छह महीने की होगी ।

8. योजना का मूल्यांकन/समीक्षा

योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार संशोधन/पुनरीक्षण किया जाएगा।

****

सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र और प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करने का प्रपत्र अनुबंध IV, V में दिया गया है

अनुबंध-I

जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन

प्रेषक : ....

दिनांक :.........

सेवा में

संयुक्त सचिव,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
5 वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003

विषय: जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत सहायता।

मैं, ... वित्त वर्ष के लिए -------------------- के आयोजन हेतु जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत .... रुपये के अनुदान के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन एतद्वारा प्रस्तुत करता/करती हूं। मैं प्रमाणित करती हूं कि मैंने योजना के नियमों और विनियमों को पढ़ा है और मैं प्रबंधन की ओर से उनका पालन करने का वचन देता /देती हूं। मैं आगे निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हूं :-

i. इस प्रकार दिए गए अनुदान का खाता उचित रूप से और अलग से रखा जाएगा। खाते हमेशा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे। वे अपने विवेक पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण जांच के लिए भी खुले रहेंगें।
ii. यदि राज्य या केंद्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि अनुदान का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो भारत सरकार आगे की किस्तों के भुगतान को रोक सकती है और पहले के अनुदानों को इस तरह से वसूल सकती है जैसा कि वे तय कर सकते हैं।
iii. संस्थान इस योजना के कार्यान्वयन में उचित मितव्ययिता का प्रयोग करेगी।
iv. जीआईए और बजट अनुमान के बीच के अंतर को संगठन द्वारा वहन किया जाना चाहिए और संगठन को इस संबंध में एक लिखित पुष्टि प्रदान करनी होगी। तथापि, यदि संगठन प्रस्ताव के लिए बजट अनुमान और विभाग की जीआईए समिति द्वारा संस्तुत जीआईए के बीच अंतर को वहन करने में असमर्थ है, तो संगठन द्वारा जीआईए समिति की सिफारिश के आधार पर एक संशोधित प्रस्ताव भेजा जाना है।

v. संगठन पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और उसके पास वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र है।

i. संगठन नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत है और वह प्रस्ताव के साथ अपना विशिष्ट आईडी नंबर प्रस्तुत करता है।

ii. संगठन मदवार व्यय के साथ लेखा का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।

iii. प्रस्ताव के साथ पिछले तीन वित्त वर्षों के लेखापरीक्षित लेखा, वार्षिक रिपोर्ट संलग्न हैं।(केवल नए प्रस्ताव के मामले में)

iv. संगठन को उसी घटक के लिए अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न है।

v. आयोजन से प्राप्त आय, यदि कोई हो तो, लेखापरीक्षित खातों में परिलक्षित होगी।

vi. इस विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाएगा।

vii. सभी लेनदेन संगठन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे यूपीआई, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, अकाउंट पेई चेक के माध्यम से किए जाएंगे और संगठन के बैंक खाते के विवरण में परिलक्षित होना चाहिए। किसी भी बिल के प्रति सभी भुगतान केवल तभी किए जाएंगे जब बिल में जीएसटी घटक (यानी केवल पक्का बिल) जहां कही भी आवश्यक हो, शामिल हो ।

viii. संस्थान कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बैनर के तहत निर्धारित तरीके से और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, राज्य सरकार, स्थानीय सांसद और विधायक को व्यापक प्रचार और जानकारी देने के बाद करेगा ।

नोट: संगठन और दस्तावेजों (संलग्न) का विवरण नीचे दिया गया है:

योजना का नाम:...

1. संगठन

संगठन का नाम:...

पता (कार्यालय):...

ईमेल आईडी:
फ़ोन
संपर्क हेतु व्यक्ति का मोबाइल नं.:.........................

2. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i. प्रमाण पत्र के तहत पंजीकरण की एक प्रति (हाँ/नहीं)

ii. आरपीडब्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण की एक प्रति (यदि लागू हो) (हाँ/नहीं)

iii. विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत पंजीकरण की एक प्रति (यदि लागू हो) (हाँ/नहीं)

iv. संस्था के बहिर्नियमों और उप-नियमों की एक प्रति (हाँ/नहीं)

v. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित लेखा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (केवल नए मामलों के लिए) (हाँ/नहीं)

vi. नीति आयोग के साथ पंजीकृत विशिष्ट आईडी की प्रति (हां/नहीं)

vii. परियोजना प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण (हां / नहीं)

viii. ब्रेकअप के साथ बजट अनुमान (हां / नहीं)

ix. प्रतिभागियों/लाभार्थियों की अनुमानित संख्या (हां / नहीं)

x. बिल/वाउचर और समर्थित दस्तावेज जमा करते समय कार्यक्रम/आयोजन आदि में भाग लेने वाले प्रतिभागियों/लाभार्थियों के नाम के साथ-साथ उनके मोबाइल नंबर वाली एक सूची। (हां / नहीं)

xi. प्रस्ताव की अवधि, आयोजन की तारीख और स्थान, परियोजना तथा स्थान और आयोजन / कार्यक्रम के परिणाम (हां / नहीं)

xii. इस विभाग से विगत में प्राप्त अनुदान का ब्यौरा क्या है? यदि हां, तो विस्तार से बताएं।

(हाँ/नहीं)

xiii. क्या इस संगठन ने इस विभाग से पूर्व में कोई अनुदान लिया है? यदि हां, तो विवरण दें।(हां/नहीं)

xiv. संगठन को उसी घटक के लिए अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न है। (हां /नहीं)

xv. सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन। (हां / नहीं)

3. उस परियोजना का विवरण दें जिसके लिए सहायता अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है।

4. अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान का ब्यौरा-

राज्य सरकार ………………… केंद्र सरकार …......................................

अन्य स्रोत ……………………………………

5. मैंने योजना पढ़ी है और योजना की आवश्यकता और शर्तों को पूरा करता/करती हूं। मैं इस योजना की सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूं। मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि:

क. इन निधियों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
ख. इस योजना के तहत मंत्रालय से प्राप्त निधियों के लिए एक अलग खाता रखा जाएगा।

हस्ताक्षर…………………………..

नोट: जहां भी लागू न हो, कृपया लिखें: लागू नहीं

नाम……………………………..

पता…………………………..

दिनांक…………………………

(मुहर)…………………………

अनुबंध-II

सेवा में

संयुक्त सचिव,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

दूसरी/तीसरी किस्त के लिए आवेदन पत्र

1. योजना का नाम: :
2. संगठन का नाम :
3. पता :
4. संपर्क हेतु व्यक्ति का मो. नं. :
5. दूरभाष
6. ईमेल :
7. सहायता अनुदान (रुपये में) कुल:
   - क. स्वीकृत की गई राशि :
   - ख. पहली किस्त के रूप में प्राप्त :
   - ग. दूसरी किस्त या तीसरी किस्त के लिए आवेदन किया :
8. आवेदक संगठन को पहली / दूसरी किस्त के उपयोग प्रमाण पत्र को संलग्न करना चाहिए।
9. खाते के लेखा परीक्षित विवरण के साथ-साथ मदवार व्यय । आयोजन से आय, यदि कोई हो, लेखापरीक्षित खातों में परिलक्षित की जानी चाहिए।
10. संगठन द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली या मांगी गई कोई अन्य जानकारी।

हस्ताक्षर...............................

नाम...................................

दिनांक…….....................

(मुहर)..............................

अनुबंध-III

कार्यक्रम के पश्चात् प्रतिक्रिया (फीडबैक)/मूल्यांकन प्रपत्र

(प्रतिभागियों द्वारा भरा जाना है)

एजीपी योजना के तहत अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) देने के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रपत्र को पूरा करें। यह प्रतिक्रिया (फीडबैक) हमें प्रशिक्षण प्रतिभागी की संतुष्टि के स्तर को मापने में मदद करती है।

कार्यक्रम का संचालन करने वाले संगठन का नाम:

<table>
<tr><td colspan="5">1. कृपया प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्नलिखित पहलुओं को रेट करें:</td></tr>
<tr><td></td><td>अति उत्कृष्ट</td><td>अच्छा</td><td>औसत</td><td>खराब</td></tr>
<tr><td>(i) संगठन</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii) प्रशिक्षण सामग्री</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(iii) आयोजन/कार्यक्रम से संबंधित सामग्री</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(iv) प्रस्तुति</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(v) संसाधन व्यक्ति</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(vi) स्थल तक पहुचनें की सुगम्यता</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(vii) समयबद्धता और अवधि</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(viii) भोजन और पानी की सुविधा</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ix) आवास (यदि कोई हो)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">2. क्या इस कार्यक्रम ने आपको दिव्यांगजनों की जागरूकता/सशक्तिकरण आदि के प्रति संवेदनशील बनाया है?:</td></tr>
<tr><td>हाँ</td><td colspan="2">हो सकता है</td><td colspan="2">निश्चित नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="5">3. क्या आप भविष्य में हमारे संगठन से इस तरह के एक और कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे?:</td></tr>
<tr><td>हाँ</td><td colspan="2">हो सकता है</td><td colspan="2">निश्चित नहीं</td></tr>
</table>

4. कोई सुझाव: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……

....

....

5. आप समग्र रूप से प्रशिक्षण / कार्यशाला/कार्यक्रम/आयोजन को कैसे रेट करते हैं:

उत्कृष्ट	अच्छा	औसत	खराब

6. हस्ताक्षर

नाम

पता

संपर्क नंबर:

<u>अनुबंध-IV</u>

प्रपत्र

" केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण" के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र। (विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले एनआई/सीआरसी/आरसी के लिए लागू नहीं)।

1.	संस्थान / विश्वविद्यालय विभाग / संगठन का नाम	
2.	संस्थान का पूरा पता क. दूरभाष संख्या /मोबाइल ख. फ़ैक्स नं ग. ईमेल घ. वेबसाइट	
3(क)	आरसीआई के अनुमोदन की स्थिति (जहां भी लागू हो)	
(ख)	अनुमोदित पाठ्यक्रमों का नाम और उनके अनुमोदन की वैधता (जहां भी लागू हो)	
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि और स्थान के साथ प्रस्तावित तिथि	
5.	प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यप्रणाली	
6.	लक्षित समूह	
7.	प्रतिभागियों की संख्या	
8.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहचाने गए संसाधन व्यक्तियों (स्थानीय और बाहरी) के विवरण, सहित नाम, संपर्क पते / दूरभाष नंबर, सीआरआर संख्या के साथ पुनर्वास योग्यता आदि।	
9.	दिव्यांगता क्षेत्र के लिए प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान के उपयोग के लिए दिए गए सुझाव	
10.	कुल अनुमानित व्यय का विवरण (प्रपत्र - परिशिष्ट 'क' के अनुसार)	

11.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग/संगठन के पास उपलब्ध सुविधाएं एवं उपकरण	
12.	आरसीआई, भारत सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय आदि की साझेदारी और वित्तीय सहायता से पहले आयोजित कोई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम।	
13.	यदि हां, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।	
	1. वित्त वर्ष	
	2. प्राप्त सहायता अनुदान	
	3. लक्षित समूह	
	4. स्वीकृत बैचों की संख्या	
	5. आयोजित बैचों की संख्या	
	6. रिपोर्ट और यूसी प्रस्तुत (हां/नहीं)	
14.	बाहर से आ रहे उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध आवास का प्रावधान	
15.	बैंक खाते का विवरण 1. खाताधारक का नाम: 2. बैंक का नाम: 3. खाता संख्या: 4. शाखा: 5. आईएफएससी कोड: 6. खाते का प्रकार: 7. मूल कैंसिल चेक	
16.	नीति आयोग के 'दर्पण' की प्रति और उसका नंबर (गैर-सरकारी संगठनों के मामले में)	
17.	प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य जानकारी:	

स्थान:

दिनांक:

मुहर सहित संस्थान के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

कृपया उपरोक्त प्रपत्र पर निम्नलिखित को आवेदन करें:

सदस्य सचिव,

भारतीय पुनर्वास परिषद

बी-22, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

नोट: - संस्थान को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षण मॉड्यूल में 01 से अधिक कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निधियों की उपलब्धता हो और परिषद द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो।

संलग्नकों की सूची:

i. आरसीआई द्वारा अनुमोदन के प्रमाण पत्र की प्रति, यदि लागू हो
ii. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की प्रति
iii. लेखा का नवीनतम लेखापरीक्षित विवरण
iv. वार्षिक रिपोर्ट की प्रति

18. उपक्रम

(100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

हम.....................................एतदद्वारा निम्नलिखित कार्य करते हैं:

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट के साथ-साथ किए गए कुल व्यय का प्रमाणित लेखा विवरण और आरसीआई से प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के एक महीने के भीतर परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. यह कि निर्धारित तिथि के अनुसार कार्यक्रम का संचालन नहीं करने और प्रतिभागियों की आवश्यक संख्या की कमी के मामले में परिषद से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त पूरी राशि, ऐसी तारीख के एक महीने के अंदर परिषद को वापस कर दी जाएगी।
3. संस्थान/संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली और आरसीआई द्वारा वित्त पोषित सुविधाएं प्रतिभागियों को नि: शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी यानी प्रतिभागियों से कोई योगदान या शुल्क नहीं लिया जाएगा।
4. उस निधि को केवल उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा जिसके लिए उसे जारी किया गया है।
5. यह कि निर्दिष्ट बजट शीर्षों के तहत व्यय, और खर्च की गई वास्तविक राशि का प्रभार लेगा, जो किसी भी शीर्ष के तहत अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।
6. आय-व्यय विवरणी के विवरण के साथ उपयोग प्रमाण पत्र को रिपोर्ट के साथ परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किए गए प्रासंगिक बिलों / वाउचर और अन्य खर्चों का रिकार्ड संस्थानों में रखा जाएगा और लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर परिषद को

प्रदान किया जाएगा।

7. यह कि आरसीआई की समय-समय पर सुझाई गई या संशोधित सभी प्रक्रियाओं/दिशा-निर्देशों का संस्थान द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम:

पदनाम : मुहर

संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है ।

परिशिष्ट- क

..........स्तर के..........दिनों के प्रशिक्षण / संवेदीकरण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित बजट

अवधि	:	
प्रतिभागियों की संख्या	:	
प्रतिभागियों का विवरण	:	

क्र.सं.	व्यय के लिए शीर्ष	आवश्यक राशि
1	कार्यक्रम सह-समन्वयक को मानदेय * (* सरकारी संस्थानों के लिए लागू नहीं)	
2	संसाधन व्यक्तियों को मानदेय (न्यूनतम 4 व्याख्यान / दिन)	
3	अधिकतम 20 प्रतिभागियों + 05 अतिरिक्त (संसाधन व्यक्ति, सह-समन्वयक प्रति दिन) के लिए दोपहर का भोजन / चाय / कॉफी	
4	डीईपीडब्ल्यूडी और आरसीआई के लोगो के साथ प्रोग्राम किट (सामग्री, हैंडआउट, पोस्टर, पेन, पैड) बैग	
5	फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी	
6	रिपोर्ट तैयार करना 5000/- रुपये की दर से	
7	बाहर से आ रहे संसाधन व्यक्तियों के लिए आवास	
8	प्रशिक्षुओं के लिए आवास (स्थानीय और पड़ोसी जिले से न्यूनतम 50% उम्मीदवार)	
9	प्रतिभागियों की यात्रा लागत (वास्तविक यात्रा व्यय, शहर से बाहर स्थित उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 1000 रुपये प्रति उम्मीदवार की सीमा के अधीन)	
	कुल	
10	कुल बजट के 10% के दर से प्रशासनिक व्यय	
	कुल योग	

20. प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और तथ्यों को दबाने, गलत बयान या असत्य जानकारी देने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा ऐसी अन्य कार्रवाई की जाएगी जो उचित समझी जाएं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थान / संगठन ऐसे किसी भी प्रकार के मुकदमे में शामिल नहीं है जो इसे बाहरी सहायता प्राप्त करने से रोकता है। यह वचन दिया जाता है कि संस्थान/संगठन इस योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित की गई शर्तों का पालन करेगा। इसके अलावा, हम यह समझते हैं कि पात्रता और सहायता की मात्रा के संबंध में आरसीआई का निर्णय अंतिम होगा।

संस्थान/संगठन के प्राधिकृत पदाधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर

नाम और पदनाम

अनुबंध-V

कार्यक्रम की प्रतिक्रिया (फीडबैक) / मूल्यांकन प्रपत्र

(प्रतिभागी द्वारा भरा जाए)

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) देने के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रपत्र को पूरा करें। यह प्रतिक्रिया (फीडबैक) हमें प्रशिक्षण प्रतिभागी की संतुष्टि के स्तर को मापने में मदद करती है।

संगठन का नाम:_

1. लक्षित समूह का उल्लेख करें: ____

2. कृपया प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्नलिखित पहलुओं को रेट करें:

	उत्कृष्ट	अच्छा	औसत	खराब
(i) संगठन				
(ii) सामग्री				
(iii) अध्ययन सामग्री				
(iv) प्रस्तुति				
(v) संसाधन व्यक्ति				
(vi) स्थल तक सुगम्यता				
(vii) समयबद्धता और अवधि				
(viii) भोजन और पानी की सुविधा				
(ix) आवास				

3. क्या इस कार्यक्रम ने आपको दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील बनाया है?:

हाँ	हो सकता है	पता नहीं

4. एजेंसी द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण किट के साथ प्रशिक्षण सामग्री प्रदान की गई :

हां नहीं

5. क्या आप भविष्य में हमारे संगठन से इस तरह के एक और कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे?:

हाँ	हो सकता है	पता नहीं

6. कोई सुझाव: ....

....

....

7. आप समग्र रूप से प्रशिक्षण को कैसे रेट करते हैं:

उत्कृष्ट	अच्छा	औसत	खराब

हस्ताक्षर

नाम

पता

संपर्क नंबर: